न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 105 / 2021

1 राजाराम पुत्र दुर्गाराम जाति ब्राह्मण साकिन खीन्दासर हाल चक 41 केवाईडी बी खाजूवाला बीकानेर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1 छोटुराम पुत्र दुर्गाराम जाति ब्राह्मण साकिन खीन्दासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर वगै0

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :– 15.3.2022

अप्रार्थी सं0 2 ने जवाब पेश किया है कि उक्त जमीन उसे पुख्ता अलॉटमेंट के तौर पर हासिल हुई है इसलिए यह उसकी स्व अर्जित संपति है। उसके पुत्रों का इस पर कोई अधिकार नहीं है।

प्रार्थी का कहना है कि भूमिहीन आवंटन में पूरे परिवार का हक निहित है क्योंकि भूमिहीन अलॉटमेंट के लिए पात्रता तय करते समय पूरे परिवार की भूमि का आंकलन किया जाता है। यदि आवंटी इसका ट्रांसफर कर देता है तो वह परिवार की बेसहारा छोड़ देगा, जो कि अलॉटमेंट की मंशा नहीं है।

अदालत का मानना है कि इस मामले में कॉम्पलैक्स ईशू शामिल है जो कि 13.5.21 की प्रोसीडिंग में भी लिखे गए है। इन सब ईशू पर प्रोपर जांच जरूरी है।

इसलिए दौरान ए जांच स्थगन आदेश कायम रखा है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)